लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स बिहार सोलर, प्रस्तावक, श्री मुन्ना कुमार, पिता–श्री राजकिशोर प्रसाद, पता–ज्योतिषपथ शिवाजी चौक, अपोजिट ज्योतिष भवन, न्यू जगनपुरा, पटना के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक–06 लोटन बालू घाट, मौजा–लोटन, प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 26.08.2023 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रखंड सभागार झाझा, जिला–जमुई** के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/2408/2023, दिनांक 20.05.2023 के आलोक में सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–''दैनिक जागरण'' एवं ''दैनिक भास्कर'', भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **21.07.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक–06 लोटन बालू घाट, मौजा–लोटन, प्रखंड–झाझा, जिला–जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री मुन्ना कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक–06 में 9.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 121805 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹404.4 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या–06 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर ''वैज्ञानिक विधि' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी / सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना / मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निकलने वाले बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देगा खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव / मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री चंदन कुमार, गिद्धौर, जमुई के द्वारा सडकों पर पर्याप्त जल छिडकाव, वृक्षारोपण तथा बालू लदे गाड़ियों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।	संवेदक के द्वारा गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 से 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा वृक्षों की समुचित देखभाल की जायेगी। ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त की निगरानी की जाय तथा अनुपालन नहीं होने की स्थिति में जिला खनन कार्यालय एवं जिला प्रशासन को सूचित किया जाय।
2.	श्री पप्पु सिंह, हथिया, लोटन, जमुई के द्वारा सूचित किया गया कि लोटन घाट, झाझा प्रखंड के अन्तर्गत नहीं आता है साथ ही निजी जमीन पर खनन किया जाता है।	प्रस्तावित घाट कई मौजो से सटा हुआ है। खनन के लिए विभाग द्वारा चिन्हित जमीन के अंदर ही खनन कार्य किया जायेगा। अगर निजी जमीन पर खनन किया जाता है तो इसकी सूचना जिला खनन कार्यालय को दी जा सकती है जिसपर नियमानुसार अग्रतर कारवाई की जायेगी।
3.	श्री विक्की कुमार, लोटन, जमुई के द्वारा स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर के संबंध में जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में 21 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जिसमें स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। संवेदक कार्य में आवश्यकता अनुसार 21 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आस–पास के क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे।
4.	श्री मुन्ना प्रसाद यादव, बस स्टैंड, झाझा के द्वारा बालू घाट से निकलने वाले गाड़ियों की स्पीड लिमिट प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में बालू घाटों से निकलने वाले गाड़ियों को दिन में 8 बजे से रात के 8 बजे तक शहरी क्षेत्र मे नो इंट्री का प्रावधान है। प्रशासन के स्तर से इस संबंध में नियमित निगरानी की जाती है। प्राप्त सुझाव से संबंधित विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।
5.	श्री हरिहर यादव, झाझा, जमुई के द्वारा गाड़ियों के परिवहन से धूलकण उड़ने तथा गाड़ियों के द्वारा ओवरलोडिंग के बारे में सूचित किया गया तथा इसके निवारण हेतु कारवाई करने का अनुरोध किया गया।	गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 से 3 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा तथा लगाये गये वृक्षों का रखरखाव संवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बालू लदे गाड़ियों के आवागमन के लिए गांव के बाहर सड़क

		का निर्माण किया जायेगा तथा उसका नियमित रखरखाव किया जायेगा।

संवेदक श्री मुन्ना कुमार के द्वारा नियमानुसार खनन कार्य करने तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रोकथाम संबंधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर खनन करने का आश्वासन दिया गया।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समस्याएं भी साथ में आती हैं इनका निराकरण एवं प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किये जाते हैं। प्रस्तावित खनन परियोजना में गाइडलाइन के अनुसार खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाय ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। नियमानुसार खनन होने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से भी होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

26-8-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
भागलपुर।

अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स बिहार सोलर, श्री मुन्ना कुमार, पिता-श्री राजकिशोर प्रसाद, ग्राम-ज्योतिषपथ शिवाजी चौक अपोजिट ज्योतिष भवन, न्यू जगनपुरा, पटना द्वारा उलाई नदी ब्लॉक-06 लोटन बालू घाट, मौजा-लोटन, ब्लॉक-झाझा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक **26.08.2023** को पूर्वाहन् **11:00** बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार झाझा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Satyendra Kumar Nath	ADM Jamui	[signature] 26/8/23
2.	Shambhu Nath Jha	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.B	[signature] 26-8-2023
3.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 26/08/2023
4.	[illegible]	[illegible]	[signature] 26/8/2023
5.	Ashish Prakash	खान निरीक्षक, जमुई	AP 26/8/23
6.	Naveen Kumar [illegible]	[illegible] / Env Consultant	[signature]
7.	Munna Kumar [illegible]	Ramkrishna Nagar Patna-27	Munna Kumar
8.	कामेश्वर प्रसाद	[illegible]	कामेश्वर प्रसाद
9.	अजय यादव	लोटन	अजय यादव
10.	मनोज कुमार	लोटन	मनोज कुमार

11.	बिन्देश्वरी यादव	बन्दर चुआँ	बिन्देश्वरी यादव
12.	संजय कुमार	दौलतपुर	संजय कुमार
13.	बबलन कुमार	मामा	बबलन कुमार
14.	श्याम सुन्दर यादव	अमवा	श्याम सुन्दर यादव
15.	शैलेन्द्र कुमार	अमवा	शैलेन्द्र कुमार
16.	Semjit Kumar	Lotan	[illegible]
17.	मुकेश कुमार	लोटन	मुकेश
18.	मो० फियाज	लोटन	मो० फियाज
19.	माइरुल	~~किशोर~~	[illegible]
20.	पंकज कुमार	सिवारे	[illegible]
21.	नौलेश कुमार	लोटन	नौलेश कुमार
22.	विक्की यादव	लोटन	vicky ya
23.	अशोक कुमार	लोटन	अशोक कुमार
24.	विनय कुमार	लोटन	विनय कुमार
25.	राजेन्द्र-राम	लोटन	बनारसी-राम

26.	रणधीर राम	चीतोचक	रणधीर राम
27.	Ritik RAJ	Bus stand	Ritik RAJ
28.	साधु यादव	भोटेना	साधु यादव
29.	Surendra Kumar	Sohjana	Surendra K[illegible]
30.	Ashish yadav	Sohjana.	[illegible]
31.	Shatrughan Pd.	Ociano - Enviro	S.P.
32.	Nagendra Kumar	R.O.P.	[illegible]
33.	Md. Shamim	BSPCB, Patna	[illegible]
34.	Sachin kumar	pandeyaih	Sachin kumar
35.	Himanshu singh	Balio	Himanshu singh
36.	पिंटू मंडल	लोहरा	[illegible]
37.	दिनेश कुमार	औरैया	दिनेश कुमार
38.	राजेश कुमार	लोहरा	राजेश कुमार
39.	[illegible]	पत्रोना	[illegible]
40.	Raj Kumar Yadav	नारेन	[illegible]

41.	Nandkishoryadav	Sohjana Jhajha	Nandkishoryadav
42.	रुमाल कुमार	सोहद	रुमाल कुमार
43.	Munna. Pd. yadav	Helajote, Jha JhS. Jammi	Munna Prasad yadav
44.	बालेश्वर यादव	बलिया	बालेश्वर यादव
45.	Ravindra lo. yadav	Bdyio	Ravindra lo. yadav
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			